राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 253/2014/टोंक

मैसर्स रमेश चन्द मोतीलाल जैन,
मालपुरा टोंक. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरिंजय जैन, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 48/वैट/टोंक/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र एवं विलम्ब से प्रस्तुत किये इसलिये धारा 58 के तहत राशि रूपये 13,035/– की शास्ति अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित की गई। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 58 के तहत राशि रूपये 76,982/– की शास्ति आरोपित की गई। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कुल मांग राशि रूपये 90,017/– आरोपित की गई। देय कर विलम्ब से जमा करवाने पर विलम्ब की गणानानुसार 2494/– रूपये ब्याज आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 12.03.2013 पारित किया। उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में चुनौती दी गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही उसे तामिल करवाया गया। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करते हुये कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 58 के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. से सूचना पत्र जारी किया है जो उसे तामिल भी हुआ है इसलिये अपीलार्थी का यह तर्क की उसे सूचना पत्र तागील नहीं हुआ उचित नहीं है। अपीलार्थी को समय पर बिक्री विवरण प्रपत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व बनता है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ना ही सूचना पत्र के जवाब में इस सम्बन्ध में कोई कारण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों की पुष्टि करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित प्रतीत होता है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य